चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 01.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव की उपस्थिति में पुलिस लाइन्स परिसर एवं वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ श्रमदान कर पुलिस कार्यालय परिसर सहित समस्त शाखाओं की साफ सफाई की गयी। इस दौरान सभी को अपने आस-पास साफ-सफाई रखने एवं स्वच्छ रहने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

इस दौरान प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय,प्रधान लिपिक श्री आनन्द मोहन शुक्ला एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिहं के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 31.01.2026 को थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्रान्तर्गत एक निवासिनी द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री के साथ बलात्कार करना तथा गोली मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 63/2026 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 5(n)(i)6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी थाना कोतवाली कर्वी को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनाँक 01.02.2026 को अपराध निरीक्षक श्रीमती सविता श्रीवास्तव व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उमेश कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.श्रीमती सविता श्रीवास्तव अपराध निरीक्षक कोत0 कर्वी
2.आरक्षी राहुल पाण्डेय
3.आरक्षी मोहित कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थानों से 02 अभियुक्तों से 07 लीटर कच्ची शराब महुआ व 01 अभियुक्त से 22 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया ।

(i). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा थाना मऊ मय हमराह आरक्षी मनीष यादव द्वारा अभियुक्त माखन पुत्र स्व0 मिर्रा रैदास निवासी अर्जुनपुर दबवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 22 अदद देशी पाउच ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह मय हमराह आरक्षी सोनपाल व महिला आरक्षी राखी सिंह थाना मऊ द्वारा अभियुक्ता गुड़िया देवी पत्नी राजबहादुर निवासी अम्बेडकर नगर बस्ती थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(iii). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह यादव मय हमराह आरक्षी बृजेन्द्र राय व महिला आरक्षी राखी सिंह थाना मऊ द्वारा अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी रमेश निवासी अम्बेडकर नगर बस्ती थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 02 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). आज दिनांक 01.02.2026 को पुलिस अक्षीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा माघी पूर्णिमा पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाडा,परिक्रमा मार्ग मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान मेला में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण की ड्यूटी चेक कर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी

करने एवं श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया तथा घाटों पर लगे पुलिस बल को बताया गया कि गहरे पानी में जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोके,जो नाव लगे है उनकी सहायता से तत्काल बचाव का कार्य करेंगें साथ ही रामघाट पर लेटे हुए श्रद्धालुओं को रैन बसेरा में जाकर लेटने हेतु बताया गया।